भारत वर्ष मे जनजातियो का जो स्वरूप विद्यमान है, वह विश्व के किसी भी अन्य देश में देखने को नही मिलता । भारतीय संविधान के अनुसार लगभग ६६७ समूहो को अनुसूचति जनजातियों की सूची में सम्मलित किया गया है जो २०४४ की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का २४ २ प्रतिशत है। इनमें से ७५ ऐसी जनजातियां है जिन्हे आदिम समूह कहा जाता है। आदिम समूह का दर्जा अबूझ, माडिया, बोडो, बादो, विरहोर, बैगा, कमार, और सहरिया जनजातियों को मिला है। इन्हे भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अमूल्य धरोहर माना जाता है, पर इनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति हमेंशा से दयनीय रही है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व ब्रिटिश शासको और राजा महाराजाओं ने इनके विकास हेतु कोई ध्यान नही दिया। प्रभुत्वशाली वर्ग के लोगों ने इनका दमन और शोषण किया । इसका परिणाम जनजातियों के सामजिक, शैक्षणिक, व सांस्कृतिक पिछडापन के रूप में सामने आया । भारत को स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ ही राष्ट्रीय विकास के सम्बन्ध में गहन चिन्तन का फलीतार्थ इन वंचित वर्ग के लोगों के उत्थान की आवश्यकता के रूप में सामने आया ।

विचारको, नीति निर्माताओं एवं बुद्धिजीवियों ने माना कि राष्टीय विकास के लक्ष्य की प्राप्ति इन वंचित वर्ग के उत्थान के अभाव में असम्भव है। संविधान निर्मात्री सीमति ने इस उद्देश्य को अभिव्यक्त करते हुए कहा कि कमजोर और पिछडे वर्ग के लोगों को विकास के विशेष अवसर दिये जायेगे जिससं इस वर्ग के लोगो को देश की आर्थिक व राजनीतिक मुख्य धारा से अपना एकीकरण कर सके । इन उपायों का उद्देश्य आदिवासी वर्ग के लोगो को विशेष सुविधाये प्रदान कर उनके जीवन स्तर में सुधा र लाना था।

इन संवैधानिक प्रवाधानों के अन्तर्गत भूमि कानून में सुधार, सूदखोरी पर प्रतिवन्ध, शिक्षण संस्थाओं और नौकरी में आरक्षण, जनजातियों हेतु विशिष्ट सुविधायें, उद्यमिता आदि का विशेष उल्लेख किया जा सकता है। इनके उत्थान के लिये केन्द्र और राज्य सरकारों ने बहुत बड़ी धनराशि व्यय की , पर जनजातियों की स्थिति में अपेक्षाकृत बदलाव नहीं आ पाया । वे आज भी गरीबी, निरक्षरता, बेरोजगारी, ऋणग्रस्तता, बीमारी व भूखमरी से त्रस्त है। भूमि एवं जंगल पर इनका अधिकार समाप्त हो गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल की बुनियादी सुबिधायें भी इन्हे प्राप्त नही हो पा रही है।

प्रस्तुत अध्ययन मध्य प्रदेश में सहरिया जनजातियों में भूमि अपवर्तन जनित आर्थिक वंचना के सामाजिक सांस्कृतिक आयाम के विश्लेषण पर केन्द्रित है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य सहरिया जनजातियों में भूमि अपवर्तन और प्रर्वजन के बीच सह सम्बन्धों को ज्ञात करना और भूमि अपवर्तन जनित आर्थिक वंचना से उनके जीवन शैली पर पडने वाले प्रभावों के विश्लेषण करना है। इस अध्ययन में यह जानने का प्रयास किया गया है कि भूमि अपवर्तन के कारण उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में धटित परिवर्तन की दिशा क्या है ? विकास की इन जनजातियों की अपनी धारणा क्या है?

क्या वे अपने प्रयास से विकास के इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते है ?हमारा यह अध्ययन इस मान्यता पर आधारित है कि गैर-जनजातियों का इनके क्षेत्र में प्रवेष से पहले सहरिया जनजाति आत्मनिर्भर थे । जब इनका सम्पर्क बाहरी लोगो से हुआ तो बाहरी लोग इनका भरपूर लाभ उठायें । भूमि अपवर्तन जनित आर्थिक वंचना गैर जनजातियों के शोषण का परिणाम है।

सहरिया जनजातियों में भूमि अपवर्तन जनित आर्थिक वंचना के सामाजिक सांस्कृतिक आयाम से सम्बन्धित यह कार्य एक शोध अध्ययन पर आधारित है, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर सम्भाग के शिवपुरी जिले में सम्पादित किया गया । शिवपुरी जिले के चार विकास खण्डो- शिवपुरी, कोलारस, पोहरी और पिछोर को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चुना गया । इन चार विकास खण्डों से चार गाव-शिवपुरी, सुनोज, बीलवर माता और मानपुरा का चयन किया गया । ये ऐसे गावं थे जहां सहरिया जनजातियों की संख्या अधिक थी । इन चारों गावों से पहले सहरिया परिवारों की संख्या ज्ञात की गयी और दैवनिदर्शन विधि से ४२५ उत्तरदाताओं का चयन किया गया । अध्ययन की इकाई परिवार की मुखिया को माना गया ।

इनका चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखा गया कि वे समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाले हो। तथ्य संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूची और अवलोकन विधि का उपयोग किया गया । साक्षत्कार अनुसूची में शोध समस्या से सम्बन्धित अनेक प्रतिवन्धित व अप्रतिवंधित प्रश्नों को सम्मलित किया गया। स्वतन्त्र रूप से उन्हे अपनी बात कहने का अवसर दिया गया ताकि वे अपनी भावनाओं को स्वच्छन्दता से व्यक्त कर सकें और प्राप्त तथ्य प्रमाणित और विश्वसनीय हो सकें ।

अध्ययन की उपलब्धियां-

सहरिया अत्यन्त पिछड़ी हुई एवं कोलारियन परिवार की जनजाति है। यह जनजाति मुख्यत ग्वालियर, भिन्ड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन और सिहोर जिलो में रहती है। सहरिया भीलो की एक उपशाखा के रूप में पायी जाती है । यह अपने आप को भीलों के छोटा भाई मानते है तथा रामायण कालीन शबरी के वंशज बताते है। सौरी से उत्पन्न होने के कारण ये शबर, सबर, सौर या सहरिया कहलायें।

सहरिया अपनी अलग कतारबद्ध मकानों की श्रृंखला बना कर समूह में रहते है जिसे सहराना कहा जाता है। सहराना का मुखिया पटेल होता है। इनकी नियुक्ति जाति परम्परा के अनुसार होती है जो पीढी दर पीढी हस्तान्तरित होती रहती है । सहरिया जनजातियों का रहन सहन, खान पान, वेष भूषा सरल और आडम्बर हीन है। इन लोगो में सफाई पर विशेष ध्यान नही दिया जाता । नियमित रूप से न तो ये स्नान करते और न ही कपडे धोते है जिससे इनकी स्वास्थ समस्या बनी रहती है। ज्वार, बाजरा,

चना, व चावल इनका मुख्य भोजन है। गेहूं की रोटी केवल पर्व और त्यौहारों पर ही बनायी जाती है। सहरिया जीवन पूर्णत प्रकृति और उसके उत्पादो पर ही निर्भर है। जंगल से मिलने वाले खाद्य फल बेर, बिला, आम, जामुन, कन्द, मूल और हरी साग भाजी इनके शरीर के खनीज तत्वों की पूर्ति करते है। इनके खान पान में पौष्टिक तत्व न के बराबर ही रहता है। आर्थिक विसंगतियों के कारण इनको पौष्टिक भोजन नही मिलता।

सहरिया जनजाति की वेषभूषा पर राजस्थानी प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। इनकी स्त्रियां लहंगा, घाघारा व सलूका पहनती है जबकि पुरूष रंगीन कमीज व साफा पहनते है । इनके वस्त्रों का रंग गहरा चटकदार हरे, पीले, नीले और लाल रंग के होते है। आभूषण पहनने की परम्परा स्त्री और पुरूष दोनो में है।

सहरिया जनजाति मद्यपान के भी शौकिन है। परिणाम स्वरूप उनमें निर्धनता, निम्न जीवन स्तर, पारिवारिक कलह और असमय मृत्यू आदि समस्याये व्याप्त हो गयी । इन समस्याओं से इन्हें मुक्ति दिलानें के लिये शासन प्रशासन व स्वयंसेवी' संगठनों का ध्यान इस ओर अपेक्षित है। सामाजिक संगठन के पारम्परिक स्वरूप और परिवर्तन-प्रस्तुत अध्ययन में सहरिया जनजातियों के सामाजिक संगठन के विभिन्न स्वरूपों एवं तदजनित घटित परिवर्तनों का विश्लेषण किया जा रहा है। सामाजिक संगठन के पारम्परिक स्वरूपों के विश्लेषण के लिये जिन विन्दुओं को लिया गया उनमें पारिवारिक संरचना, विवाह परम्परा, परिवार में महिलाओं की स्थिति, गोत्र एवं धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधियां मुख्य है ।

परिवार सार्वभौमिक एवं सर्वकालिक संस्था के रूप में समाज की निरन्तरता को बनाये रखने वाली समाज की एक आधारभूत संस्था है। सहरिया जनजातियों में परिवार एक संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक इकाई होता है जिसे ये कुटुम्ब कहते है। ये परिवार पितृवंशीय, पितृस्थानीय एवं पितृसत्तात्मक परिवार के रूप में पाये जाते है। पिता की सत्ता सर्वोपरि होती है। बच्चे पिता के कुल या वंश का नाम ग्रहण करते है। पारिवारिक सम्पत्ति पर उनका पूर्ण अधिकार होता है। के एम कपाडिया (१९६२) की मान्यता है कि खासी, गारो, नायर आदि जनजातियों के समान सहरिया जनजातियों में मातृसत्तात्मक परिवार नही पाये जाते है।

इस जनजाति में मातृसत्तात्मक परिवार न होने क कारण महिलाओं का स्थान पुरुषों से नीचा होता है। सहरिया समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा का प्रचलन है। हमारे आधे से अधिक उत्तरदाता संयुक्त परिवारों में रहते है। संयुक्त परिवार के प्रकार्यात्मकता के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं का विचार सकारात्मक है। हमारे आधे से अधिक उत्तरदाता यह मानते है कि संयुक्त परिवार में धन का सही उपयोग होता है और इसी के द्वारा संस्कृति की रक्षा होती है। साथ ही राष्टीय एकता में ये सहायक है। परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण इसके अकार्यात्मकता को हमारे उत्तरदाताओं ने नजर अन्दाज नही किया । उत्तरदाताओं का

मानना है कि मकान छोटे होने और मजदूरी पर आश्रित होने के कारण जितना एकाकी परिवार अच्छे है उतने संयुक्त परिवार नही । यही कारण है कि एक तिहाई से अधिक उत्तरदाता एकाकी परिवारों में रह रहे है। सर्वेक्षित गांव शिवपुरी जिले से जुडे हुए है। अतएव विकास के आधुनिक संसाधन परिवार के स्वरूप को प्रभावित कर रहा है। के एम कपाडिया (१९५९) मत है कि औद्योगीकरण, नगरीकरण एवं पश्चिमीकरण की प्रकिया के फलस्वरूप पारिवारिक संरचना में तीव्र परिवर्तन हो रहा है। फिर भी ग्रामीण और जनजातीय समुदायों में संयुक्तता के तत्व अभी भी विद्यमान है।

आजीविका के प्रकार एवं परिवार के स्वरूप में गहरा सम्बन्ध है। जो लोग मजदूरी से आय प्राप्त करते है उनके यहां एकाकी परिवारों का प्रचलन अधिक है। अध्ययन की प्रवृत्ति यह है कि जीवन निर्वाह के साधन में संधर्ष कठिन होने के साथ संयुक्त परिवार का विघटन होता है। इसमें एक तथ्य यह भी जुडा हुआ है कि आय कम होने की स्थिति में संयुक्त परिवार के विघटन की दशायें उत्पन्न होती है।

सभी मामलो में सहरिया परिवार का एक मात्र मुखिया पिता होता है। हालांकि एकाधिक कारणों से उसकी स्थिति में परिवर्तन आ रहा है, तथापि बच्चों के विवाह सम्बन्धों का निर्धारण, उसका आयोजन, परिवार के सदस्यों पर नियन्त्रण एवं धार्मिक कार्यो का नेतृत्व आज भी परिवार का मुखिया ही करता है। लेकिन परिवार का शासक होना, परिवार पर पूर्णतया अधिकार होना और आय-व्यय के पूर्ण नियन्त्रण पर विरोध के स्वर उभरने लगे हैं। इस प्रकार अध्ययन में यह देखा गया कि परिवार के पारस्परिक सम्बन्धों के स्वरूप में आज बदलाव हो रहा है । इस बदलाव का मुख्य कारण मकानो की कमी, अपने आय पर अपना अधिकार की भावना, महिलाओं द्वारा अर्जित आय और युवा वर्ग का नगरीय सम्पर्क तथा सास बहू के आपसी कलह आदि मुख्य है।

सामाजिक संगठन का दूसरा मुख्य आधार गोत्र व्यवस्था है। डां. मजूमदार के अनुसार, एक गोत्र कुछ वंशो का योग होता है, जिसकी उत्पत्ति एक काल्पनिक पूर्वज से होती है जो कुछ भी हो सकता है। उत्प्रेती (१९७०) के अनुसार अण्डमान द्वीप समूह के कादर एवं बैगा जनजातियों को छोड कर शेष सभी भारतीय जनजातियों में गोत्र व्यवस्था पायी जाती है। सहरिया जनजातियों में गोत्र की अवधारणा गोत्र के नाम से ही जानी जाती है। यह जनजाति अनेक गोत्रो में बटी हुई है। इस जनजाति में प्रचलित गोत्रों में सौजकिया, सनौरिया, नवटेले, बगुलपा, लुधया, बेलिया, छिरोजया, धुरारिया, राजोरिया, रखबूडा, सोहरे, कुसमोरया, कुडवारिया, लुधया, कायथ, खिमरिया, छयूलिया, जचरैया, चकरदैया, आदि कुल ४१९ गोत्र पाये जाते है। एक गोत्र के लोग कुटुम्बी, सगोती या भाई बन्धू कहलाते है। गोत्र जनजातीय इतिहास के पहचान का प्रतीक है ।

सहरिया जनजातियों में गोत्र वनस्पति जगत, जीवजगत और भौतिक पदार्थों से मिलकर बने होते है । गोत्र बर्हिविवाही होते है। गोत्र के सदस्य भ्रातृत्व भाव से जुडे होने के कारण परस्पर सम्मान रखते हुए एक दूसरे के साथ सहयोग करते है और सुख-दुख के सहभागी बनते है। गोत्र का मुख्य कार्य निकटाभिगमन को रोकना, समाज के सदस्यों को एकता के सूत्र में बाधे रखना, व्यक्तियों के व्यवहारों पर नियन्त्रण रखना, तथा सामाजिक व धार्मिक कार्यो को सुचारू रूप से संचालित करना है।

सामाजिक संगठन का तीसरा प्रमुख आधार विवाह सम्बन्ध है। जनजातियों मे विवाह प्रथा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना अन्य समाजो में । सहरिया समाज में विवाह एक धार्मिक कार्य है जिसे फूफा सम्पन्न कराता है। पर अब नगरीय समाजो से सम्पर्क और उसके प्रभावों के कारण ब्राम्हणों द्वारा विवाह सम्पन्न कराये जाने लगे है। विवाह में लगुन, टीका, भेट, भावर आदि रस्में अदा की जाती है ।

सहरिया जनजातियों में अन्य जनजातियों की भांति विवाह प्रथा जैसे परिवीक्षा, क्रय, अपहरण, परीक्षा, विनिमय, सेवा, हठात या सहपलायन जैसे वैवाहिक स्वरूप दृष्टिगत नही होते । इस जनजाति में चार प्रकार के विवाह पद्धति प्रचलित है-सगाई विवाह, झगड़ा विवाह, विधवा विवाह और झारा फेरा विवाह । इनमें से सगाई विवाह को सर्वोच्च माना जाता है।

हमारे सभी उत्तरदाता विवाहित है और सगाई विवाह द्वारा ही इनका विवाह सम्पन्न हुआ है। सगाई विवाह दोनो पक्षों के राजी बाजी से सम्पन्न होता है। हमारा यह अध्ययन जी पी द्विवेदी (२००३) के अध्ययन से भिन्न निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। जी पी द्विवेदी ने कोल परिवारों का अध्ययन कर यह बताया कि सामाजिक परिवर्तन की प्रकिया ने वैवाहिक कियाओं को भी प्रभावित किया है, पर सहरिया जनजाति के लोग प्राचीन पद्धति सगाई विवाह को ही उचित मानते है। सहरिया जनजातियों में बाल विवाह प्रथा का भी आरम्भ में प्रचलन था और कमोवेश मात्रा में आज भी है। पर अब अधिकांशतया वय संन्धि पार होने के बाद ही विवाह सम्पन्न हो रहे है। इनके यहां बच्चो के विवाह की न्यूनतम आयु ४-५ वर्ष रखी गयी है जो शासन द्वारा निर्धारित आयु से कम है ।

इनके यहा अर्न्तविवाह का ही नियम स्वीकृत है और सगोत्र विवाह निषिद्ध ह। सामाजिक व्यवस्था और रक्त की पवित्रता को बनाये रखने के लिये, पारिवारिक जीवन में शान्ति और सांस्कृतिक विषमता को समाप्त करने के लिये अर्न्तविवाह का नियम स्वीकृत है। चूकि सहरिया समाज में सगोत्र विवाह निषिद्ध है । पर अपवाद स्वरूप उसका उल्लंघन करने पर उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। इनके यहा मामा का गोत्र छोड कर अन्यंत्र कही भी विवाह किये जा सकते है।

सहरिया जनजातियों मे एक विवाह प्रथा का ही प्रचलन है । एक समय मे एक पुरूष एक स्त्री के साथ ही विवाह कर सकता है। किन्तु पत्नी की मृत्यू के पश्चात सहरिया पंचायत की अनुमति से दूसरा

विवाह कर सकता है। इनके यहां विधवा विवाह का भी प्रचलन है। पति की मृत्यु के पश्चात पंचायत की अनुमति से गोत्र सम्बन्धी नियमो का पालन करते हुए किसी दूसरे पुरूष के साथ रहने की अनुमति दे दी जाती है। चूकि स्त्री को एक ही बार हल्दी चढती है। अत वैवाहिक कियाकलाप ऐसे में वर्जित रहता है। विधवा स्त्री को इनके यहां खाली कहा जाता है और स्त्री को खाली नही रखा जा सकता है। इसलिये विधवा विवाह अनिवार्य है। डा जी पी द्विवेदी (२००३) ने रीवा के कोल जनजातियों के सामाजिक परिवेश का अध्ययन किया और पाया कि सहरिया परिवारों की भांति कोल परिवारों में भी एक विवाह प्रथा का ही प्रचलन है पर विधवा विवाह का निषेध है। हमने अपने अध्ययन में देखा कि सहरिया परिवार में एक विवाह के प्रचलन के साथ साथ विधवा पुनर्विवाह की भी मान्यता है । इस प्रकार हमारा अध्ययन जी.पी. द्विवेदी के अध्ययन से कुछ सीमा तक ही मेल खाता है।

सामाजिक संगठन का एक अन्य आधार धर्म है। धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास के रूप में माना जाता है। सहरिया जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो ईश्वर पर विश्वास के साथ साथ निर्जीव वस्तुओं में भी अलौकिक शक्ति के निवास करने के तथ्य को स्वीकार करते है । हिन्दू समाज में प्रचलित मान्यताओं के अनुरूप सहरिया लोग आत्मवादी होते है और पुर्नजन्म में आस्था रखते है। हिन्दू देवी देवताओ के अतिरिक्त प्राकृतिक आत्माओं, वृक्षों आदि में अलौकिक शक्ति के निवास के साथ साथ मृतात्माओं पर भी काफी विश्वास है ।

मृतात्माओं को ये अपना कुल देवता मानते है और अपने घर में ही मिट्टी का घरौदा बना कर इन्हें प्रसन्न करने के लिये बलि देते है। सहरिया समाज में धार्मिक अनुष्ठानों को सम्पन्न कराने के लिये कोई पण्डित या पुजारी नही आता । परिवार का वयोवृद्ध व्यक्ति ही विभिन्न आयोजनो में पुरोहित का कार्य करता है पर वाहय सम्पर्क (गैर-जनजातियों) के कारण गैर-आदिवासी ब्राम्हण इनके धार्मिक जीवन में प्रवेश कर रहे है। यद्यपि ये अभी आरम्भिक स्तर पर ही है पर धार्मिक अनुष्ठानों को सम्पन्न कराने की मानसिकता विकसित हो रही है।

सहरिया जनजाति समय समय पर आने वाली बीमारियो, कष्टों और विपत्तियों से मुक्ति पाने के लिये बलि दे कर अदृश्य शक्ति को प्रसन्न करने का प्रयस करते है । इनमें नीम, पीपल, व अन्य वृक्षों की पूजा अर्चना की जाती है।

अज्ञानता व अतार्किक विचारों के कारण पुरातन परम्परा के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे है। डां. एस. सी. दूबे (१९६४) ने कमार जनजातियों के अध्ययन में पाया कि कमार जनजाति के लोग मृत व्यक्ति का शरीर मढिया बनाकर रहने लगता है उसी प्रकार सहरिया जनजातियों में मृत आत्मा के प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास है। उनकी पूजा अर्चना समय सयम पर की जाती है।

जीवन निर्वाह के उपक्रम परम्परा और परिवर्तन-

प्रस्तुत अध्ययन में सहरिया जनजातियों के जीवन निर्वाह के उपक्रमों का विश्लेषण किया गया है । इसके अन्तर्गत तीन पक्षो को विश्लेषित किया गया है- प्रथम पक्ष के अन्तर्गत परम्परागत व्यवसायों का उल्लेख किया गया है वही दूसरे पक्ष में उनके स्वयं का व्यवसाय, स्वामित्व, भूमि अपवर्तन, प्रवर्जन और उसके कारणो को विश्लेषित किया गया । तीसरे पक्ष के अन्तर्गत आर्थिक वंचना के कारण और उसके दुष्परिणामो को, परम्परागत व्यवसायों के प्रति उनके दृष्टिकोण, व्यावसायिक गतिशीलता व श्रमविभाजन के विभिन्न स्वरूपों को विश्लेषित किया गया है ।

अतीत में सहरिया जनजाति कृषि, वनोत्पाद के संग्रह, लकड़ी बेचना, मजदूरी करना और शिकार कर के जीवन निर्वाह करते थे । वनो पर शासकीय नियन्त्रण हो जाने के कारण वनोत्पाद संग्रह और शिकार निषिद्ध हो गया । वर्तमान में उनके द्वारा जीवन निर्वाह हेतु उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यो में कृषि, कृषि सह-मजदूरी, चोरी छिपे वनोत्पाद संग्रह, तथा कुटीर उद्योग धन्धा मुख्य है। हमारे उत्तरदाताओं के पास कृषि योग्य भूमि न के बराबर है। सर्वाधिक उत्तरदाता भूमिहीन है । कुछ न्यूनतम उत्तरदाताओं के पास एक से साढे चार बीधा जमीन है वह भी कम उपजाउ की असीचित भूमि । हमारे उत्तरदाताओं का एक चौथाई से कम भाग के पास उतनी ही भूमि थी जितनी उन्हें अपने पूर्वजो से मिली थी जबकि तीन चौथाई से अधिक उत्तरदाता यह मानते है कि उनके पूर्वजो द्वारा भूमि का एक बडा हिस्सा या तो औने पौने दामो पर बेंच दी गयी या ऋणदाता को हस्तान्तरित कर दी गयी । वह भूमि जिसका उनके पास पट्टा नहीं था।

वह भी बन्दोबस्त व्यवस्था के अन्तर्गत उनके हाथ से निकल गयी। अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि सहरिया जनजातियो में अशिक्षा, ऋणग्रस्तता और सरल स्वभाव के कारण उनके हाथो से भूमि निकल गयी। उनको भूमि से बेदखल करने में बाहरी तत्वों का हाथ रहा जिसमें सहकारी नीतियां, प्रशासनिक उपेक्षा, जटिल न्याय व्यवस्था, साहूकार, ठेकेदार, और समाज के दबंग लोग मुख्य रूप से जिम्मेदार है। इस कारण उनका आर्थिक आधार बहुत कमजोर रहा है।

भूमि अपवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्तरदाताओं का तीन चौथाई भाग कृषित्तर मजदूरी पर निर्भर है। ये लोग जीविकोपार्जन के लिये पास के नगरीय इलाको या करों में चले जाते है। ऐसे प्रवर्जन से उनके घर की समस्या और शारीरिक शोषण के शिकार हो रहे है। उन्हे अपने जीविकोपार्जन के लिये कृषि सह मजदूरी या अन्य प्रकार के मजदूरी पर निर्भर रहना पडता है। अत्यधिक गरीबी के कारण ये साहूकारो, ठेकेदारो व जमीदारो से कर्ज लेते है और बदले के रूप में बधुआ मजदूरी के रूप में कार्य करते है। मुरम और पत्थर के खादानो में इनका शोषण देखने को मिलता है।

वनोत्पाद सहरिया जनजातियों के जीवन निर्वाह का परम्परागत आधार रहा है। जंगल से मिले उत्पादों को चोरी छिपे इकट्ठा कर शहर में बेचते है और आवश्यक वस्तुयें क्रय करते है । सहारिया मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने में माहिर होते है । यह ज्ञान उन्हें अपने पुरखो से मिला है। शहद बेचकर वे अच्छी आमदनी कर लेते है।

हमारे उत्तरदाताओं का दो तिहाई से अधिक भाग यह मानता है कि भूमि अपवर्तन का प्रभाव सबसे पहले उनके पारिवारिक संरचना पर पड़ा है। आर्थिक वंचना के वजह से उनके परिवार मे परस्पर मतभेद, श्रमविभाजन व धन के असमान वितरण में झगड़े के कारण उनका पारिवारिक संरचना असन्तुलित हआ है। साथ ही जब जीविकोपार्जन के लिये पास के नगरीय इलाको में गये तो उनका सम्पर्क गैर-जनजातीय समाज से हुआ जिस कारण उनकी जीवन शैली भी प्रभावित हुई । उत्तरदाताओं का तीन चौथाई भाग यह मानता है कि जनजातीय मूल्य, उनके आदर्श, प्रथा, परम्परा और रीति रिवाज में पहले की तुलना में कमी आयी है।

जनजातीय जीवन शैली का भौतिक पक्ष इन बाहरी लोगो के सम्पर्क में आने के कारण सरलता से परिवर्तित हो गया पर अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन न के बराबर है। सहरिया जनजातियों में भूमि अपवर्तन के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के उद्योगो में कार्य करने के कारण उनकी सामान्य जीवन शैली भी प्रभावित हुई । हमारे उत्तरदाताओ का अधिकांश भ गग यह मानता है। कि पीढियों से परम्परागत व्यवसायों में संलग्न होने की प्रवृत्ति के कारण कल-कारखानो की दैनिक जीवन शैली को पूर्णतया आत्मसात नही कर पाये। ये लोग केवल आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से मजबूरी मे इन उद्योग धन्धो मे लगे। इस प्रकार के कार्य इनके लिये उबाउ प्रकृति का था जिसका प्रभाव इनके कार्य क्षमता पर पडा। औद्योगीकरण और नगरीकरण ने व्यक्तिपरक प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है जिसके कारण पारस्परिक सम्बन्धो की प्रगाढता में कमी आयी है। इसका प्रभाव विवाह और परिवार जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं पर पडना शुरू हो गया है। आज सहरिया युवा अन्तर्विवाह के नियमो का उल्लंघन कर अपने समाज से बाहर विवाह कर रहे है जिससे तलाक की घटनायें बढ़ रही है।

अध्ययन में यह ज्ञात हुआ कि इनकी आय बहुत ही न्यूनतम है और ये औसत आय से ज्यादा व्यय करते है। इससे ये ऋणग्रस्त हो जाते है। फलस्वरूप इन्हे बंधुआ मजदूरी के लिये भी बाध्य होना पडता है। सहरिया जनजातियों को इस शोषण से बचाना आवश्यक है ।

आज सहरिया जनजातियों में अपने परम्परागत व्यवसायों के प्रति उपेक्षा की भावना पैदा होती जा रही है और वे आज विकासोन्मोमुख व्यवयसाय की ओर जाने का प्रयास कर रहे है। इनमें व्यापार, व्यवसाय, पशुपालन, कुक्कुट पालन आदि के प्रति अभिरूचि है। अत वैकल्पिक व्यवसाय प्रदाय करने का सार्थक प्रयास आवश्यक है।

परम्परात्मक राजनीतिक व्यवस्था और नवीन पंचायती राज व्यवस्था-

प्रस्तुत अध्ययन में पारम्परिक पंचायत या जातिगत पंचायत व नवीन पंचायती राज व्यवस्था से सम्बन्धित तथ्यों का विश्लेषण किया जा रहा है। इस अध्ययन में यह देखा गया कि अन्य जनजातियों की भांति ही सहरिया जनजातियों में पंचायत व्यवस्था पारम्परिक रूप से विद्यमान रही है। इनकी पृथक जाति पंचायत होती है जिसमें तीन पद- माते, मुखिया और साना होते है। यह समय समय पर आवश्यकतानुसार जाति विषयक किसी भी समस्या के सन्दर्भ में निर्णय देने का कार्य करता है। उक्त पदों के गठन की भागीदारी के लिये ४२ गांवों के सहरिया आते है, और तीन सहरिया व्यक्तियों का चयन करते है। जब तक ये पद भरे रहते है तब तक अन्य व्यक्ति का चयन नही होता है।

सहरिया पंचायत समुदाय के सदस्यों के जीवन के प्रत्येक पक्ष को नियन्त्रित करती है तथा उसको नियन्त्रित व निर्देशित करती है। पारम्परिक पंचायतो का मुख्य कार्य विवाह से सम्बन्धी मान्यताओं व निषेधों' का पालन, समाज विरोधी कायी को रोकना, सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक कायी का निर्वहन करना है। इसके अतिरिक्त विधवाओं व परित्यक्ताओं के लिये पुनर्विवाह की अनुमति प्रदान करना, उत्तराधिकार सम्बन्धी विवादों का हल करना व मजदूरी सम्बन्धी विवादों का निराकरण करने का भी कार्य करती है। हमारी सर्वाधिक तीन चौथाई से अधिक उत्तर दाता यह मानते है कि परम्परागत पंचायते आज भी उपयोगी है।

वैधानिक प्रावधानों के कारण परम्परागत पंचायतों के अधिकार सीमित हो गये है, फिर भी पारम्परिक विवादों में परम्परागत पंचायतो को ही महत्वपूर्ण माना गया है। सहरिया पंचायते अपना विशिष्ट परम्पराओं को बनाये रखने का प्रयास कर रही है, पर वाहय परिणामों के कारण आ रहे परिवर्तनों को रोक पाने में कठिनाई का अनुभव कर रही हैं। अध्ययन से यह विदित होता है कि सहरिया आज भी परम्परागत पंचायतों के प्रति आस्था रखते है। वैधानिक पंचायतों ने परम्परागत जाति पंचायत के अधिकार कार्यक्षेत्र व प्रभाव को प्रतिकूल प्रभावित किया है ,फिर भी परम्परागत पंचायते भविष्य में बनी रहेगी क्योंकि परम्परागत वैधानिक पंचायतों के कायी में हस्तक्षेप न करते हुए स्वयं की अनुरक्षा के प्रति जागरूक है।

सहरिया जनजाति केवल अपनी जातिगत पंचायतों के प्रति जागरूक नही है बल्कि वैधानिक पंचायतो व राजनीतिक कियाकलापों के प्रति भी जागरूक है। मतदान व्यवहार में इनके परिवार के स्त्री-पुरूष समान रूप से भागीदारी करते है। हमारे उत्तरदाताओं का सर्वाधिक तीन चौथाई से अधिक भाग पिछले पंचायत चुनाव में भागीदारी किये थे। मतदान न करने वाले लोगों की संख्या न्यूनतम होती है।

उत्तरदाताओं का एक न्यूनतम भाग अभी हाल में हुए पंचायत चुनाव में पंच-सरपंच हेतु प्रत्याशी बने और निर्वाचित भी हुए। शेष प्रत्याशियो के लिये चुनाव कार्य में सहयोग दिया ैचुनाव कार्य मे सहयोग का तात्पर्य प्रत्याशी को वोट दिलाने के लिये मतदाताओं से सम्पर्क, चुनाव प्रचार करना, इश्तहार लगाना आदि है। उत्तरदाताओं का एक न्यूनतम भाग चुनाव के समय राजनीतिक विचार विमर्श भी करते है। यह विचार विमर्श परिवार, पडोसी व जातिगत पंचायतों के सदस्यों के बीच की जाती है।

उत्तरदाताओं का सर्वाधिक भाग यह मानता है कि वैधानिक पंचायते जनजातीय विकास में अधिक प्रभावशाली सिद्ध नही हो पा रही है। पंचायत से जिन लोगो ने जनजातीय क्षेत्रों में लाभ उठाया है वे या तो जनजातीयो के निर्वाचित प्रतिनिधि थे या जनजातीयों के परम्परागत अभिन्न वगी में से थें। अर्थात व्यवस्था परम्परागत हो या आधुनिक, जनसामान्य विकास से हमेशा ही वंचित रहा है। विकास योजनाओं का लाभ निववचित नेतृत्व ही उठाने में सफल रहा है।

हमारे सर्वाधिक उत्तरदाता यह मानते है कि जनजातियों का सामजिक, आर्थिक विकास केवल जनजातीय संगठन से ही हो सकता है क्योंकि गैर-जनजातीय सदस्यों द्वारा उनके प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया जाता है। यह उपेक्षापूर्ण व्यवहार सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व राजनीतिक क्षेत्रों में अधिक किया जा रहा है। इसलिये जातिगत संगठन का होना आवश्यक है।

सहरिया जनजातियों की मुख्य समस्यायें-

प्रस्तुत अध्ययन में सहरिया जनजातियों की मुख्य समस्याओं को भी विश्लेषित किया गया। सहरिया समाज की समस्यायें बहुआयामी है पर विश्लेषण के लिये जिन विन्दुओं को लिया गया उनमें सामाजिक व धार्मिक कुरीतियां, अशिक्षा, निर्धनता व बेरोजगारी, भूमि हस्तान्तरण और प्रवर्जन मुख्य है। तथ्यों के विश्लेषण के बाद हमने पाया कि अशिक्षा, बाल विवाह, नशाखोरी, अन्धविश्वास की समस्या सहरिया जनजातियों मे अधिक है।

सर्वाधिक उत्तरदाता अशिक्षित है और उन्हे इस बात की जानकारी नही है। कि शासन द्वारा उनके बच्चों के विवाह की आयु निर्धारित की गयी है। वे आज भी अपने बच्चों का विवाह छोटी उम्र के बीच सम्पन्न कर देते है। इनके यहां अन्धविश्वास भी अधिक मात्रा में पायी जाती है। ये लोग समय-समय पर आने वाली बीमारियो, कष्टों और विपत्तियों से मुक्ति पाने के लिये अदृश्य शक्ति को प्रसन्न करने का प्रयास करते है। जादू-टोना, झाड-फूक, अनिष्ट के पीछे मृतात्मा का प्रकोप आज भी ये स्वीकार करते है। हमारे तीन चौथाई से अधिक उत्तरदाता मद्यपान का सेवन करते है। मद्यपान में महुआ का बना हुआ कच्चा शराब अधिक मात्रा में सेवन करते है। ये कच्ची शराब स्वयं बनाते है और कुछ मात्रा में क्रय करते है।

सरकारी आंकडे के अनुसार ग्वालियर सम्भाग की सहरिया परिवार गरीबी रेखा के नीचे निवास कर रहे है। इनकी जीविकोपार्जन अर्थव्यवस्था बाजार व्यवस्था में बदल गयी है। इस परिवर्तन ने इन्हे त्रस्त कर दिया है। इनमे भूमि अपवर्तन या हस्तान्तरण की समस्या सर्वाधिक है। इनके पडोसी समुदायों कुर्मी, मुस्लिम, मारवाडी, पंजाबियों ने इनके भूमि पर अतिकमण कर लिया जिस कारण अधिकांश सहरिया भूमिहीन हो गये है और अब जीविकोपार्जन के लिये केवल मजदूरी पर निर्भर हो गये है। उत्तरदाताओं का सर्वाधिक भाग मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह कर रहे है।

भूमिहीन होने और मजदूरी पर आश्रित होने के कारण नगरीय इलाकों में प्रवास के लिये बाध्य है। ये ऋणग्रस्तता व कुपोषण की समस्या से ग्रसित है। ऋणग्रस्तता के कारण उनका शोषण जागीरदारों, जमीदारो और साहूकारों ने किया । उन्हे बधुआ मजदूर बनकर अपने कर्ज का निपटारा करना पडता है। निर्धनता और ऋणग्रस्तता के कारण उन्हे सन्तुलित आहार भी नही मिल पा रहा है जिससे वे कुपोषण के शिकार हो गये । निर्धनता, ऋणग्रस्तता, साहूकारो और महाजनो द्वारा आर्थिक शोषण आर्थिक समस्याओं के विभिन्न स्वरूप है।

भूमि और वनो पर जनजातियों के अधिकार का हनन, अपव्यय की प्रवृत्ति, अशिक्षा, भाग्यवादिता व संकुचित विचारधारा सहरिया समाज की निर्धनता के मुख्य कारण है। निर्धनता के कारण तीन चौथाई से अधिक उत्तरदाता सेठ, साहूकारों और महाजनों के ऋणी है। आकस्मिक व्यय की पूर्ति हेतु इन्हे ऋण लेना पडता है।

आवास की समस्या इनकी मुख्य समस्या है। सर्वाधिक उत्तरदाता कच्ची मिट्टी के बने मकानों में रहते है जिसमें केवल एक या दो कमरे बने हुए है। ये लोग आपसी सहयोग से मकान बना लेते है। मकान बनाने की आवश्यक सामग्री वनों से प्राप्त कर लेते है। शासन ने इन्हे कुटीर उपलब्ध करने की व्यवस्था की है पर शासन द्वारा बनाये गये कूटीरों में ये नही रहना चाहते है। इसका मुख्य कारण कुटीर उनकी बस्ती से बहुत दूर होना है। असुरक्षा, एकाकीपन, अन्य स्वजातीय लोगो की दिनचर्या में सम्मलित न होने के कारण ये लोग उसे पसन्द नही करते है। स्वयं के भवन बनाने या उसमें सुधार के लिये भी शासन द्वारा सुविधायें उपलब्ध करायी जाती है पर जानकारी के अभाव में उन्हे इसका लाभ नही मिल पा रहा है।

सहरिया जनजातियों में गत्यात्मकता का मूल्यांकन-

प्रस्तुत अध्ययन में उन कारको का विश्लेषण किया गया जो गतिशीलता को बढाने में अपना योगदान देते है। इसमें एक ओर गतिशीलता के साधक कारको यथा संस्कृतिकरण एव पश्चिमीकरण, औद्यौगीकरण व नगरीकरण की प्रकिया को सहरिया समाज पर पडने वाले प्रभावों को विशेषित किया

गया तो दुसरी तरफ इनके विकास हेतु संचालित योजनाओं, कल्याण कार्यकमों और उनके कियान्वयन को विशेलेषित किया गया।

तथ्यों के विश्लेषित के उपरान्त हमने पाया कि गतिशीलता के साधक कारकों ने सहरिया जनजीवन को प्रभावित किया है। हमारे एक तिहाई से अधिक उत्तरदाता यह मानते है कि उनके रीतिरिवाज,कर्मकाण्ड, विचारधारा, व जीवन पद्धति गैर-जनजातियों से भिन्न है पर वे गैर-जनजातियों के रीति रिवाज, कर्मकाण्ड, विचारधारा व जीवन पद्धति को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे है, जिससे उनके सामाजिक स्थिति में सुधार हो सके। हमारे अधिकांश उत्तरदाता धार्मिक कृत्यों, भोजन करने, महिलाओं को अधिकाधिक स्वतन्त्रता देने व बच्चों के जीवन साथी के चयन में आधुनिकता के उतने हिमायती नही है जितना व्यवसाय चयन और पहनावे में इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्कृति के प्रमुख क्षेत्रों धर्म, विवाह, पारिवारिक मर्यादा व आचार व्यवहार में गतिशीलता की मात्रा कम है जबकि व्यवसाय या पहनाव में अधिक।

अधिकांशतः उत्तरदाता परम्परागत व्यवसायो के स्थान पर विकासोन्मुख पेशो में लगना चाहते है। इसका प्रमुख कारण परम्परागत पेशो की अनुपयुक्तता, नये व युवा सदस्यों द्वारा परम्परागत व्यवसायों को अपनाने का विरोध, श्रम साध्य व हीनता का सूचक होना है । वे व्यवसाय, रोजगार व मजदूरी के लिये गांव की अपेक्षा नगर को अधिक उपयुक्त मानते है क्योकि नगर का वातावरण औद्योगिक है। यातायात व संचार की अधिकता, कार्यकुशलता में वृद्धि व अधिक मजदूरी इसका कारण है।

परिवर्तन को घटित करने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है पर सर्वाधिक उत्तरदाता अशिक्षित है। पुरूषों में नाम मात्र की शिक्षा है पर महिलाये शत प्रतिशत अशिक्षित है। हालांकि जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर ऊँचा करने के लिये शासन द्वारा पर्याप्त प्रयास किये जा रहे है। आदिम जाति क ल्याण विभाग द्वारा आदिवासी बच्चों को शासन द्वारा शैक्षणिक सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही है। फिर भी सहरिया समाज में शिक्षा के प्रति अभिरूचि पैदा नही हो पायी इसका मुख्य कारण यह है कि वे यह समझ पाने में असमर्थ है कि उन्हें किस प्रकार की शिक्षा उनके जीवन निर्वाह में सहायक हो सकती है पाठशाला, पाठ्यकम, शिक्षक, शाला का समय, बच्चों का पारिवारिक दायित्व, घर व परिवार का वातावरण आदि ऐसे अनेक कारक है जिससे आदिवासी बालक, पालक, व समुदाय शिक्षा के प्रति उदासीन है। वे शिक्षा के स्थान पर रोजी रोटी में व्यस्त रहते है। पढाई के स्थान पर पेट भरना इनका प्राथमिक कार्य होता है। इस समस्या के समाधान हेतु आवश्यक है कि ऐसी शिक्षा योजना बनायी जाये जो शिक्षा के साथ साथ निश्चित आय प्रदत्त कर सके। उनमें स्वरोजगार की क्षमता उत्पन्न करे । उन्हें अपने घर या गावं में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध हो। उन्हे इस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है जो आर्थिक सम्बल और रोजगार प्रदत्त कर सके।

अध्ययन के दूसरे भाग में आदिवासियों के विकास हेतु चलायी जा रही शासकीय योजनाओ एवं उनके कियान्वयन का मूल्यांकन किया गया । हमारे सर्वाधिक उत्तरदाता यह मानते है कि जनजातीय कल्याण हेतु सरकारी योजनायें संचालित हो रही हैं और इन योजनाओं में लगान माफी, काम के बदले अनाज, कम व्याज पर ऋण की सुविधा, विभिन्न क्षेत्रों में आरक्षण, जवाहर रोजगार योजना, कुटीर उद्योग धन्धों के लिये प्रोत्साहन, कृषि और पशुपालन के लिये सहायता, आदि मुख्य है। पर इन योजनाओं का कियान्वयन इस ढंग से किया जा रहा है कि सहरिया समुदाय को इसका वांछित लाभ नही मिल पा रहा है। अधिकांश उत्तरदाताओं की दृष्टि में जनजातीय कल्याण हेतु जो भी प्रयास किये जा रहे हैं वे कागजी अधिक व्यवहारिक कम है। तीन चौथाई से अधिक उत्तरदाता उनके उत्थान हेतु चलायी जा रही योजनाओं के कियान्वयन से असन्तुष्ट है। इसका मुख्य कारण योजनाओं का कागजी कार्यवाही अधिक होना, अधिकारियो द्वारा योजनाओं के कियान्वयन में रूचि न लिया जाना, कमजोर वर्ग के लोगो के साथ भेदभाव व उपेक्षितपूर्ण व्यवहार, जनसंख्या के अनुपात में मिलने वाली सुविधाओं का नगण्य होना, मुख्य रूप से चिन्हित किये गये ।

उत्तरदाताओं ने स्पष्ट किया कि कार्यकम और योजनायें उद्देश्य पूर्ण होने के बावजुद भी इनके कियान्वयन में ढिलाई व भ्रष्टाचार के कारण सभी कार्यकम अर्थहीन हो गये। वांछित लाभ इन गरीब और कमजोर वर्ग को नही मिल पाया। इसके अतिरिक्त सहरिया समाज का अशिक्षित होना और सरकारी कर्मचारियों के मनमानी के कारण सरकारी सुविधाओ का लाभ इन्हे नही मिल पा रहा है।

उक्त विवेचना के आधार पर सहरिया जनजातियों के विषय में कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाले जा सकते है उनको हम निम्न विन्दुओं में रख रहे है-

१- सहरिया जनजाति कोलारियन परिवार की और ग्वालियर की प्रमुख जनजाति है। यह अपनी उत्पत्ति राजस्थान के . भीलो के छोटे भाई के रूप में मानते है। यद्यपि जनजाति संस्कृति एक अखण्ड व्यवस्था है और यह माना जाता है कि इसमें अभिजात लोक संस्कृति के तत्व सम्मिलित नही है किन्तु सहरिया जनजाति में हिन्दु संस्कृति के लोक तत्व विद्यमान है।

२- सहरिया समाज की सामाजिक स्थिति समाज में अपेक्षा कृति निम्न है और गैर-जनजातियों की उपेक्षा व उत्पीडन का शिकार होना पडा है। यह स्थिति सामाजिक संगठन एवं एकता की दृष्टि से गम्भीर मानी जानी चाहिये । समाज के विभिन्न सदस्यों परस्पर सद्भाव की कमी व दूरी सूचक दृष्टिकोण विघटनात्मकता को बढावा देता है।

३- सहरिया जनजातियों में समाजिक संगठन का मुख्य आधार संयुक्त परिवार व्यवस्था है। इनके यहा परिवार पितृसत्तात्मक, पितृस्थानीय और पितृवशीय पाये जाते है। परिवार में महिलाओं की स्थिति

अपेक्षाकृत निम्न है तथपि सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक क्षेत्रो में काफी स्वतन्त्रता है। घर परिवार के आर्थिक प्रबन्धन में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। परिवार का बड़ा होना या संयुक्तता का मुख्य कारण कृषि था पर जैसे जैसे कृषि योग्य भूमि अन्य लोगो को हस्तान्तरित होती गयी सहरिया परिवार की संयुक्तता टूटती गयी ।

४- सहरिया जनजातियों में अर्न्तविवाही समूह, को मान्य किया गया है जबकि सगोत्र विवाह निषिद्ध है। अतः अपवाद स्वरूप इनका उलंघन होने पर जाति पंचायत द्वारा कठोर दण्ड का प्रवाधान है। इस प्रकार सांस्कृतिक क्षेत्रों जैसे विवाह, खान पान महिलाओं की स्वतन्त्रता आदि क्षेत्रो में अधिकांश लोग पालन करते पाये गये।

५- सहरिया जनजाति धर्म एवं तत्समबन्धी हिन्दू धर्म से प्रभावित है। इनके यहां हिन्दू देवी देवताओं की पूजा की जाती है इसके अतिरिक्त इनके देवी देवता भी है। धार्मिक विश्वासो में विशेष परिवर्तन दिखाई नही देता है। धार्मिक कियाकलाप एवं कर्मकाण्ड स्वयं सम्पन्न करते है।

६- सहरिया जनजातियों की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार परम्परागत रूप कृषि और पशुपालन था। किन्तु यह जनजाति अपनी भूमि को सुरक्षित नही रख पायी । यद्यपि सरकार द्वारा इनके भू अधिकारो की सुरक्षा के लिये इन्हें भूमिधर श्रेणी प्रदान किया गया और भूमि को बेचने या उपहार देने या गिरवी रखने पर प्रतिवन्ध लगा दिया गया है। फिर भी इनकी अधिकाशं भूमि गैर-जनजातियों के पास चली गयी।

७- वर्तमान में सहरिया जनजाति एक भूमिहीन जनजाति है जिसका मौलिक पेशा लकडी बेचना, अस्थायी कृषि करना, कृषि मजदूरी करना, बनोत्पाद संग्रह करना है। बनो पर शासकीय नियन्त्रण हो जाने के कारण वनोपज का संग्रह व शिकार निषिद्ध हो गया जीविकोपार्जन हेतु ये कृषि मजदूरी या मजदूरी पर निर्भर है। इनमें व्यापार और पशुपालन मे रूचि है अत वैकल्पिक व्यवस्था करने का सार्थक पहल आवश्यक है।

८- दुर्व्यसनो, विवाह, कर्मकाण्ड व उत्सव पर आय से अधिक व्यय करते है। इस कारण अधिकांश परिवार ऋणग्रस्तता की स्थिति में अपना जीवन व्यतीत करते है। फलस्वरूप ये साहूकारो के शोषण के शिकार होते है। धनाभाव व ऋणग्रस्तता भूमि हस्तान्तरण का मुख्य कारण है।

९- भूमि व वनो पर जनजातियों के अधिकारों का हनन, विवाह, मृत्यू, मेलों, उत्सवो आदि पर क्षमता से अधिक व्यय करने की प्रवृत्ति ने सहरिया जनजातियों के आर्थिक स्तर को बदतर बनाया है। सुविधाओं के बावजूद अशिक्षा, सरल स्वभाव, व भाग्यवादी होने के कारण वे निम्न जीवन स्तर निर्वहन कर रहे है।

४- कृषि भूमि के अभाव में जीविकोपार्जन के लिये इधर उधर जाने के कारण सहरिया जनजातियों की जीवन शैली प्रभावित हुई है। इसका जनजातीय स्वरूप, मूल मान्यतायें प्रथा व परम्परा, खान-पान, रहन-सहन, वेष-भूषा परिवर्तित हो रहा है। जीवन शैली में परिवर्तन का मुख्य कारण गैर-जनजातियों का सम्पर्क है।

५- संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकारण का प्रभाव भी उत्तरदाताओं पर देखा गया । ये गैर-जनजातियों की रहन-सहन, रीति-रिवाज, विचारधारा व कर्मकाण्ड, जीवन विधि जाने अनजाने में अधिकांश लोग स्वीकार करने लगे है। इसी तरह पश्चिमीकारण और आधुनिकीकरण के प्रभाव के कारण इस जनजाति में उन्नत तकनीकि, तार्किक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण परम्परात्मक मूल्यों को प्रभावित कर रहा है। वाहय संस्कृतियों का प्रभाव व सरकारीकरण के कारण आधुनिक परिवर्तन इनमें आरम्भ हो गये है।

५- औद्यौगीकरण और नगरीकरण की प्रकियाओं ने गतिशीलता को बढाया है। व्यवसाय व रोजगार के क्षेत्र में गतिशीलता देखने को मिली।

६- विभिन्न सरकारी योजनाओं के परिणाम स्वरूप इनकी भौतिक संस्कृति में परिवर्तन हो रहा है। इनके उत्थान के लिये सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं एवं सरकारी प्रयासों को इन्होने महत्वपूर्ण माना। साथ ही इस बात को दृढता से स्वीकार भी किया कि सरकारी प्रयासों से जितना लाभ उन्हे मिलना चाहिये था उतना नही मिल पाया।

७- अधिकांश लोग यह स्वीकार करते है कि सरकार द्वारा सहरिया जनजातियों के उत्थान के लिये जो भी योजनायें क्रियान्वयन की जाती है उसका अधिकांश लाभ उन्हे नही मिल पा रहा है क्योकि उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कमजोर है और गैर-जनजातियों द्वारा बहुत अधिक मात्रा में हस्तक्षेप किया जाता है। सरकारी योजनाओं का वांछित लाभ न मिल पाने का मुख्य कारण सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया जाने वाला पक्षपात भी है।

८- गैर-जनजातियों द्वारा इनका शोषण, उत्पीडन और दुर्व्यवहार के कारण उनमें जातिगत चेतना बढी है और जातिगत संगठन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है ।

९- जनजातियों में शिक्षा का स्तर ऊँचा करने के लिये शासन द्वारा प्रर्याप्त प्रयास किये जा रहे हैं । फिर भी सहरिया जनजातियों में शिक्षा के प्रति अभिरूची पैदा नही हो पायी। शिक्षा के प्रति अभिरुची पैदा न होने का मुख्य कारण यह है कि वे यह समझ पाने में असमर्थ है कि किस प्रकार की शिक्षा उनके जीवन निर्वाह के लिये सहायक सिद्ध हो सकती है। बच्चो की पढाई के स्थान पर पेट भरना इनका प्राथमिक कार्य होता है। अतः यह आवश्यक है कि ऐसी शिक्षा योजना बनायी

जाये जो शिक्षा के साथ साथ निश्चित आय भी दे सके । उनमें स्वरोजगार की क्षमता उत्पन्न करे और आर्थिक सम्बल व रोजगार प्रदान कर सके।

१०- अध्ययन से यह विदित हुआ कि जनजातियों का समग्र विकास न होने का एक कारण यह भी है कि विकास की प्रकिया को अवैज्ञानिक रूप से लागू की गयी। जनजातियों का वर्गीकरण भी अवैज्ञानिक व राजनीतिक दृष्टि से प्रेरित होकर किया गया। राजनीतिक स्वार्थ की दृष्टि से देखने पर न तो सही वास्तविकता का आकलन होता है और न ही अवलोकन अतः विकास योजना बनाते समय यह ध्यान रखा जाये कि विकास प्रकिया ऐसी हो जिससे उनकी सांस्कृतिक गरिमा नष्ट न हो। उनकी आत्मनिर्भरता, आत्म विश्वास और जातीय गर्व बना रहे।

सन्दर्भ ग्रन्थ-

१. के. एम. कपाडिया, (१९५९), द फेमिली इन टान्जिशन, *सोशियोलाजिकल बुलेटिन*, खण्ड-८, अंक-२ ।

२. जी.पी.द्विवेदी (२००३), *कोल जनजातियों का सामाजिक परिवेश*, समाज वैज्ञानिकी, अंक-५ ।

३. एस सी दूबे १९६४ द कमार, लखनउ ।

४. अरूण उपाध्याय (२०२०) *जनजातीय समाज में सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन*, मानव, वर्ष-३९, अंक-४-२

५. तारा शर्मा (२००७) *खरिया जनजीवन*, के के पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद ।

६. हरीश चन्द्र उत्प्रेती (२०००) *भारतीय जनजातियां -संरचना और विकास*, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर ।

७. निर्मला शर्मा (१९९९) बुन्देलखण्ड की सहरिया जनजाति, *मानव*, वर्ष-२५, अंक-२ ।